न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 23/2019
GCMS NO. : 2019/00085

–: वादी :–

1. कैलाशचन्द्र पुत्र पुखराज
2. किरण पुत्री पुखराज
3. पिंकी पुत्री पुखराज
4. उमा पुत्री पुखराज
   जातियान– ब्राह्मण, निवासीगण– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला– पाली (राज)
2. नरेन्द्र उपाध्याय पुत्र भंवरलाल जाति– ब्राह्मण, निवासी– बिराटियां कलां तहसील– रायपुर जिला– पाली राज०।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:-21/09/2019

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री ईमरान खान, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 02/12/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 405 रकबा 2–14 बीघा, खसरा नम्बर 407 रकबा 9–07 बीघा, खसरा नम्बर 420 रकबा 0–14 बीघा, खसरा नम्बर 422 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नम्बर 935 रकबा 15–10 बीघा, की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी के पिता इन्द्राज होने से रह गया, नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादग्रस्त आराजी में मिसल बंदोबस्त संवत 2011 से 2030 में भंवरलाल का अकेले का नाम बालू जी के फौत होने के बादइन्द्राज हो गया। जबकि बालू जी के दो पुत्र वादी के पिता पुखराज जी एवं भंवरलाल जी थे, तथा भंवरलाल जी जो कि–बिरांटियां में लूणाराम जी ब्राहाम्ण के गोद चले गये। इसलिए वादग्रसत आराजी में [illegible] जी [illegible] समाप्त हो गये, क्योंकि उन्होने बिरांटिया कलां में लूणाराम जी की आ[illegible] में [illegible] हिस्सा प्राप्त कर लिया। इसलिए जैतारण में स्थित बालूराम जी [illegible] हक हिस्सा निहित नहीं रह जाता है। वादी का [illegible] इस सम्पति में इस वंश वृक्षावली के अनुसार इन्द्राज होता है। प्रस्तुत वंशावली के अनुसार [illegible]ग्रस्त आराजी में बालूराम जी का जो हक हिस्सा है, वह वादी कैलाशचन्द के नाम इन्द्राज किया जावें। इस बाबत यह घोषणा का वादपत्र पेश है। वादग्रस्त आराजी में मिसल बंदोबस्त के समय बालूराम जी के फौत होने के बाद उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

आराजी में भंवरलाल जी के अकेले के नाम इन्द्राज कर दिया, जबकि बालू जी के दो पुत्र पुखराज व भंवरलाल थे तथा आगे चलते हुये पटवारी एवं आर.आई की लिपिकिय त्रुटिवश उक्त आराजी में भंवरलाल, बालू पिसरान नैनाराम इन्द्राज हो गया, जो पूर्णतया गलत इन्द्राज है, क्योकि भंवरलाल पुत्र बालूराम है, न कि भंवरलाल व बालूराम भाई है एवं न ही नैनाराम जी के वारिसान है, इसलिए वादग्रस्त आराजी में इस त्रुटि को दुरुस्त करते हुये एवं भंवरलाल का इस आराजी में नाम हटाते हुये कैलाशचन्द जो कि पुखराज जी का वारिस है इसलिए कैलाश पुत्र पुखराज का नाम भंवरलाल पुत्र बालूराम के स्थान पर इन्द्राज किया जावे। इस आशय की घोषणा राजस्व रेकर्ड में की जावे। नकल मिसल बंदोबस्त वादपत्र के साथ पेश है। वादी द्वारा अपने पिता के फौत होने के बाद उक्त आराजी में अपना नाम जरिये फौतेदगी म्युटेशन के इन्द्राज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तब वादी को जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजी में उनके पिता का नाम कभी इन्द्राज हुआ ही नहीं एवं राजस्व रेंकर्ड में भी त्रुटि है। तब वादी ने दिनांक 25.10.2018 को राजस्व रेकर्ड की सम्पूर्ण नकले प्राप्त की, तब उसे जानकारी हुई कि- वादग्रस्त आराजी में उनके पिता का नाम इन्द्राज नही है एवं भंवरलाल जी का नाम इन्द्राज है, परन्तु वल्दियत गलत अंकित है। तब वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को भंवरलाल पुत्र बालू के स्थान पर वादी को स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, तब प्रतिवादी द्वारा इन्कार होने एवं सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने का कहने पर यह वादपत्र बाबत घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती का श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत है। उपरोक्त वर्णित वादग्रसत आराजी में वादी के अलावा भी अन्य सह हिस्सेदार है, परन्तु सहहिस्सेदारों के न तो हिस्से प्रभावित हो रहे है एवं न ही वादी ने उनके विरूद्ध कोई अनुतोष चाहा है, इसलिए वह आवश्यक व प्रोपर पक्षकार नहीं होने से उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 25.10.2018 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने एवं राजस्व रेकर्ड की दुरुस्ती एवं स्वयं का नाम इन्द्राज कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार होने पर बमुकाम जैतारण, तहसील- जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मिल सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या ... की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सामिल मिसल है, प्रतिवादी संख्या ... जवाब दावा प्रस्तुत करते हुये वादपत्र में वर्णित कथनो का इंकार किया तथा यह इस्तदुआ की है कि यदि वादीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ वादीगण की स्वीकार की जाती है तो इससे प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 02 को उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं है केवल वादीगण के हक अधिकार निहित है। तहसीलदार जैतारण की ओर से रिपोर्ट पेश की गई जो सा.मि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

है। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू.अ./20/5555 दिनांक 23.12.2020 में कथन किया कि उपरोक्त वाद से सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में वादी के पिता का नाम दर्ज नहीं है। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादीगण द्वारा हस्तगत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण के खसरा नम्बर 405 रकबा 2-14 बीघा, खसरा नम्बर 407 रकबा 9-07 बीघा, खसरा नम्बर 420 रकबा 0-14 बीघा, खसरा नम्बर 422 रकबा 0-05 बीघा, खसरा नम्बर 935 रकबा 15-10 बीघा में मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 में खातेदार बालू जी के फौत होनें के बाद केवल भंवरलाल का नाम इन्द्राज हुआ जबकि खातेदार बालू के दो पुत्र वादी के पिता पुखराज एवं भंवरलाल थे। भंवरलाल ग्राम बिराटिया में लुणाराम ब्राह्मण के गोद ले गये तथा उनके आराजी में हक हिस्सा प्राप्त कर लिया जिससे वादग्रस्त आराजी में उनका कोई हक हिस्सा विद्यमान नहीं रहा। अतः वादग्रस्त आराजी में भंवरलाल का नाम विलोपित करते हुये वादीगण जो कि बालूजी के पुत्र पुखराज के विधिक वारिसान है को खातेदार घोषित किया जावें तथा इसी अनुरूप वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी कि जावें।

2. प्रतिवादी नरेन्द्र उपाध्याय पुत्र भंवरलाल ब्राह्मण निवासी बिरांटिया कलां ने इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत करते हुये वादी के वादपत्र में वर्णित कथनों एवं वांछित अनुतोष का समर्थन किया।

3. तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में वादी के पिता का नाम दर्ज नहीं है।

4. प्रतिवादी द्वारा इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत करनें एवं प्रति वादपत्र नहीं होनें से हस्तगत प्रकरण में विवाद्यक विरचित किया जाना सम्भव एवं आवश्यक नहीं था। अतः विवाद्यक विरचित नहीं किये गये।

5. साक्ष्य वादी में वादी कैलाशचन्द्र पुत्र पुखराज द्वारा शपथपत्र [illegible] वादपत्र में अंकित कथनों एवं वांछित अनुतोष का समर्थन करते हुये [illegible] कि वादग्रस्त आराजी की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 में बतौर खातेदार दर्ज बालूजी वादीगण के दादा है तथा बालू के दो संतान भंवरलाल एवं पुखराज हैं, जबकि बालूजी की मृत्यु उपरांत वारिसान के रूप में केवल भंवरलाल को ही इन्द्राज किया गया, पुखराज का नाम इन्द्राज नहीं किया गया। जबकि भंवरलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 16:46:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ग्राम बिरांटिया के लुणाराम ब्राह्मण के गोद चले गये थे तथा उनकी आराजी में हक हिस्सा प्राप्त कर लिया इसलिए बालूजी के वारिसान के रूप में उनका इन्द्राज किया जाना विधिक संगत नहीं था। तत्पश्चात् पटवारी एंव भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश वादग्रस्त आराजी में भंवरलाल, बालू पिसरान नैनाराम इन्द्राज कर दिया जो कि पूर्णतया गलत है, क्योंकि भंवरलाल पुत्र बालूराम परस्पर भाई नहीं है, न ही नैनाराम के वारिसान है।

6. DILRMP परियोजना के अन्तर्गत लैण्ड रेकॉर्ड डिजिटाईजेशन उपरांत ग्राम जैतारण की वादग्रस्त आराजी की तैयार डिजिटल जमाबन्दी प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 507 के खसरा संख्या 405, 407, 420, 422 में बालु पुत्र नैनाराम तथा भंवरलाल पुत्र नैनाराम जाति ब्राह्मण सा देह खातेदार दर्ज है, वहीं वादग्रस्त आराजी के खाता संख्या 508 के खसरा संख्या 935 में बालु पुत्र नैनाराम तथा भंवरलाल पुत्र नैनाराम जाति जाट साकिन बांजाकुड़ी खातेदार दर्ज किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लैण्ड रेकर्ड डिजिटाईजेशन खसरा संख्या 935 में उक्त खातेदारान् की जाति ब्राह्मण के स्थान पर जाट एवं साकिन बांजाकुड़ी त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित कर दिया गया जिसे विलोपित कर शुद्ध प्रविष्टि किया जाना विधि संगत होगा।

7. प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम जैतारण के अनुसार वादग्रस्त आराजी में भंवरलाल, बालू पि0 नैनाराम बतौर सहखातेदार दर्ज है। प्रदर्श– P-3 नगरपालिका जैतारण द्वारा जारी बालूराम पुत्र छोटूराम के मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुसार बालूराम की दिनांक 25.11.1970 को मृत्यु हो गई थी तथा प्रदर्श– P-4 पुखराज पुत्र बालूराम के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार पुखराज की मृत्यु 25.02.1982 को हो गई। प्रदर्श– P-4 जोधपुर गवरमेन्ट के एक रूपये के स्टाम्प पर लिखत के अनुसार "लुणाराम वल्द लछीराम कौम ब्राह्मण जात उपादिया गांव बिराटिया कलां परगना जैतारण ने लिख दिया कि मेरे भाई मगनीराम व मेरे कोई पुत्र नहीं और न ही भविष्य होनें की आशा है, क्योंकि मेरी आयु लगभग 55 वर्ष की हो चुकी है, इसलिये हिन्दु धर्म शास्त्रानुसार धर्म सम्बन्धी कार्य करनें के लिये तथा मेरी सम्पति का उत्तराधिकारी बनाने के लिये आपका पुत्र भंवरीलाल नाबालिग को मैने गोद लिया और गोद की रीति अदा कर दी है। भंवरीलाल को आज से कुल अधिकार मेरे असली पुत्र के प्राप्त हो गये है, ... आज से मेरा पुत्र कहलायेगा। इसको मैने तथा मेरी औरत ... लिया है। उपर्युक्त लिखत की तिथी दिनांक 09.04.1949 होना अंकित ... प्रदर्श– P-6 खतौनी बन्दोबस्त ग्राम जैतारण सम्वत् 2011 से 2030 में वाद... आराजी में भंवरलाल बेटा बालू बतौर सहखातेदार खुदकाश्त दर्ज है।

8. इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों एवं कथनों तथा प्रतिवादी द्वारा उनकों

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:53 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार करनें, शपथपत्र पर प्राप्त साक्ष्य एवं दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि भंवरलाल एवं पुखराज बालूजी के विधिक वारिसान है एवं भंवरलाल को बन्दोबस्त पूर्व ही ग्राम बिरांटिया कलां के लुणाजी ब्राह्मण द्वारा गोद लिया गया था, जिसकी पुष्टि भंवरलाल के पुत्र नरेन्द्र उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथनों एवं लुणाजी द्वारा एक रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित लिखत से होती है। इस प्रकार भंवरलाल के लुणाजी के गोद चले जाने से बालु जी वारिसान के रूप में पुखराज का नाम दर्ज होना चाहिये था जबकि खतौनी बन्दोबस्त में ही केवल भंवरलाल बेटा बालू ही दर्ज किया गया जो कि विधि संगत नहीं है, इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी के वर्तमान भू अभिलेख(डिजिटाईजेशन के पूर्व) में ***"भंवरलाल बालु पि0 नैनाराम"*** एवं लैंड रेकॉर्ड डिजिटाईजेशन के उपरांत ग्राम जैतारण के खाता संख्या 507 के खसरा संख्या 405, 407, 420, 422 में ***"बालु पुत्र नैनाराम तथा भंवरलाल पुत्र नैनाराम जाति ब्राह्मण सा देह खातेदार"*** एवं वादग्रस्त आराजी ग्राम जैतारण के खाता संख्या 508 के खसरा संख्या 935 में ***"बालु पुत्र नैनाराम तथा भंवरलाल पुत्र नैनाराम जाति जाट साकिन बांजाकुड़ी खातेदार"*** दोनों प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण है। अतः इन्हें विलोपित करते हुये इनके स्थान पर पुखराज पुत्र बालु को बतौर मृतक खातेदार बालु के विधिक वारिसान के रूप में दर्ज किया जाना विधि संगत होगा। चुंकि बालु के विधिक वारिसान पुत्र पुखराज की मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण पुखराज के विधिक वारिसान है, अतः वादग्रस्त आराजी में बालु के विधिक वारिसान के रूप में वादीगण को खातेदार अभिधारी घोषित करते हुये इनके स्थान पर वादीगण 1. कैलाशचन्द्र पुत्र पुखराज, 2. किरण पुत्री पुखराज, 3. पिंकी पुत्री पुखराज, 4. उमा पुत्री पुखराज सभी जातियान ब्राह्मण निवासीगण ग्राम जैतारण तहसील जैतारण को बतौर खातेदार दर्ज किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुरूप भू अभिलेख में अमल दरामद करते हुये भू अभिलेख को अद्यतन एवं परिशुद्ध करें। वाद वादी इसी मुताबिक स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान [illegible] स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा [illegible] स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 405 रकबा 2–14 बीघा, खसरा नम्बर 407 रकबा 9–07 बीघा, खसरा नम्बर 420 रकबा 0–14 बीघा, खसरा नम्बर 422 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नम्बर 935 रकबा 15–10 बीघा के वर्तमान भू अभिलेख(लैंड रेकॉर्ड डिजिटाईजेशन से पूर्व) में बतौर सहखातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"भंवरलाल बालु पि0 नैनाराम"*** एवं लैंड रेकॉर्ड डिजिटाईजेशन के उपरांत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn[illegible]
Date: 2022.01.24 16:46:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ग्राम जैतारण के खाता संख्या 507 के खसरा संख्या 405, 407, 420, 422 में बतौर सहखातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों ***"बालु पुत्र नैनाराम तथा भंवरलाल पुत्र नैनाराम जाति ब्राह्मण सा देह खातेदार"*** एवं वादग्रस्त आराजी ग्राम जैतारण के खाता संख्या 508 के खसरा संख्या 935 में बतौर सहखातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों ***"बालु पुत्र नैनाराम तथा भंवरलाल पुत्र नैनाराम जाति जाट साकिन बांजाकुड़ी खातेदार"*** को विलोपित करते हुये इनके स्थान पर वादीगण 1. कैलाशचन्द्र पुत्र पुखराज, 2. किरण पुत्री पुखराज, 3. पिंकी पुत्री पुखराज, 4. उमा पुत्री पुखराज सभी जातियान ब्राह्मण निवासीगण ग्राम जैतारण तहसील जैतारण को बतौर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुरूप भू अभिलेख में अमल दरामद करते हुये भू अभिलेख को अद्यतन एवं परिशुद्ध करें। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 02/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण**
बईजलास :- **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. कैलाशचन्द्र पुत्र पुखराज
2. किरण पुत्री पुखराज
3. पिंकी पुत्री पुखराज
4. उमा पुत्री पुखराज
   जातियान- ब्राह्मण, निवासीगण- जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज०।

बनाम

1. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला- पाली (राज)
2. नरेन्द्र उपाध्याय पुत्र भंवरलाल जाति- ब्राह्मण, निवासी- बिराटियां कलां तहसील- रायपुर जिला- पाली राज०।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

मु०न० :रा०वा० स०: 23/2019
निर्णय दिनांक :- 02.12.2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री इमरान खान, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 405 रकबा 2-14 बीघा, खसरा नम्बर 407 रकबा 9-07 बीघा, खसरा नम्बर 420 रकबा 0-14 बीघा, खसरा नम्बर 422 रकबा 0-05 बीघा, खसरा नम्बर 935 रकबा 15-10 बीघा के वर्तमान भू अभिलेख(लैंड रेकॉर्ड डिजिटाईजेशन से पूर्व) में बतौर सहखातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"भंवरलाल बालु पि0 नैनाराम"*** एवं लैंड रेकॉर्ड डिजिटाईजेशन के उपरांत ग्राम जैतारण के खाता संख्या 507 के खसरा संख्या 405, 407, 420, 422 में बतौर सहखातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों ***"बालु पुत्र नैनाराम तथा भंवरलाल पुत्र नैनाराम जाति ब्राह्मण सा देह खातेदार"*** एवं वादग्रस्त आराजी ग्राम जैतारण के खाता संख्या 508 के खसरा संख्या 935 में बतौर सहखातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों ***"बालु पुत्र नैनाराम तथा भंवरलाल पुत्र नैनाराम जाति जाट साकिन [illegible] खातेदार"*** को विलोपित करते हुये इनके स्थान पर वादीगण 1. कैलाशचन्द्र पुत्र पुखराज, 2. किरण पुत्री पुखराज, 3. पिंकी पुत्री पुखराज, 4. उमा पुत्री पुखराज सभी जातियान ब्राह्मण निवासीगण ग्राम जैतारण तहसील जैतारण को बतौर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुरूप भू अभिलेख में अमल दरामद करते हुये भू अभिलेख को अद्यतन एवं परिशुद्ध करें।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:53 IST
Reason: SelfAttested

अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 02/12/2021 को जारी किया गया।

माफिक

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला-पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05	-00	स्टाम्प वकालतनामा	01	-00
स्टाम्प वकालतनामा	02	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	06	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः-	15	-00	मिजानः-	01	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:53 IST
Reason: SelfAttested